561 556

Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number :	fab264e2d3a5c2c0170c
Receipt Date :	16-Aug-2022 01:20:26 pm
Receipt Amount :	16800/-
Amount In Words :	Sixteen Thousands Eight Hundred Rupees Only
Token Number :	20220000100266
Office Name :	SRO - Simdega
Document Type :	Sale Deed
Payee Name :	AMRIT PRAMENDRA TIRKEY (Vendee)
GRN Number :	2212810429

-: For Office Use :-

15.9.22

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दुसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

प्रमाणित किया जाता है कि इस रसीद के माध्यम से पूर्व में किसी प्रकार की सेवा नहीं ली गई है।

अमृत प्रमेन्द्र तिर्की
15/09/2022

Services.

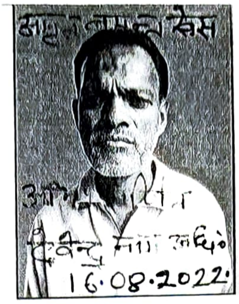

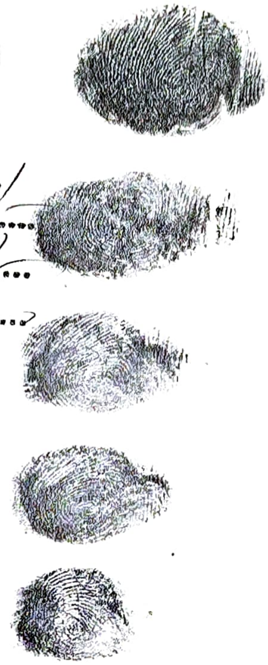

Fee Paid

A1 ......12600/......

Land Lord Fee ......03/......

Process Fee ......01/......

15.9.22

Valuation Per Decimals

Land ......60000/......

विक्रय सम्पति प्रतिबन्धित भूमि की सूची के अन्तर्गत नहीं है।

विक्रय पत्र

परमिशन वाद संख्या 622/2021–22 आदेश दिनांक 08.06.2022

(1) **लेख्यकारीः**– श्री अमृत बसन्त खेस उम्र 46 वर्ष पिता स्व0 अन्तोनी खेस, दादा स्व0 जोसेफ उरॉव, श्रेणी– अनुसूचित जनजाति (सी.एन.टी.एक्ट 1908 के अन्तर्गत आते हैं), पेशा– खेती गृहस्थी, निवास ग्राम– खिजरी सामटोली, थाना– सिमडेगा, जिला– सिमडेगा, राज्य– झारखण्ड, राष्ट्रीयता भारतीय नागरिक ।

मो0 नं0 9546285451   आधार संख्या XXXX XXXX 1662

.... बिकेता ।

शपथ–पत्र संख्याः– 363/2022

होल्डिंग नं0 0060000597000 एम. 0

मार्ग दर्शिका पंजी से मिलान किया गया।

मूल पहचान पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र से मिलान किया, सही पाया

(2) **लेख्यधारीः**– श्री अमृत प्रमेन्द्र तिर्की उम्र 39 वर्ष, पिता स्व0 प्रकाश तिर्की, दादा स्व0 ठुषा उरॉव, श्रेणी– अनुसूचित जनजाति (सी.एन.टी.एक्ट 1908 के अन्तर्गत आते हैं) पेशा– खेती गृहस्थी, निवास ग्राम– खिजरी सामटोली, थाना– सिमडेगा, जिला– सिमडेगा, राज्य झारखण्ड, राष्ट्रीयता भारतीय नागरिक,

मो0 नं0 9835605796 आधार संख्या (1) XXXX XXXX 0475

.... केता ।

शपथ–पत्र संख्याः– 364/2022

(3) **लेख्यप्रकारः**– विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्रादिक सदा सर्वदा के लिए होता है ।

(4) **मूल्यः**– मोबलिग चार लाख बीस हजार रूपये अंके 4,20,000/– रूपये होता है ।

(5) **सम्पतिः**– संरचना रहित आवासीय जमीन एराजियात अन्दर मौजा– खिजरी सामटोली, वार्ड नं0 06, थाना– सिमडेगा, थाना नं0 105, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला– सिमडेगा के खाता नं0 113 (एक सौ तेरह) प्लॉट नं0 2489 (चौबीस सौ नवासी) रकबा 0.83 एकड़ में से 0.07 एकड़ (सात डिसमिल) आवासीय जमीन, जिसपर किसी प्रकार का मकान या निर्माण नहीं है, और न ही पेड़ पौधा है । जमीन का माप– उत्तरी भूजा– 55.5 फीट, दक्षिणी भूजा– 55.5 फीट, पूरबी भूजा– 60 फीट, पश्चिमी भूजा– 50 फीट है ।

मौजा	थाना	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
खिजरी	सिमडेगा	105	113	2489	0.07 एकड़

जिसकी चौहद्दीः–

उत्तरः– घेरा मकान अनिल खेस्स,

दक्षिणः– छोड़ा गया 10 फीट का कच्चा रास्ता (अन्य रास्ता),

अमृत प्रमेन्द्र तिर्की
16.08.2022

राजेश तिर्की पिता जोहन तिर्की
ग्राम खिजरी सामटोली
थाना सिमडेगा जिला सिमडेगा
16.08.2022

पूरब :— इसी प्लॉट का अंश,
पश्चिमः— इसी प्लॉट में छोड़ा गया 10 फीट का कच्चा रास्ता (अन्य रास्ता) ।
मालगुजारी 1.00 रूपैया (एक रूपैया) अलावे सेस सलाना ।
मैं घोषणा करता हूँ कि उक्त वर्णित जमीन को पूर्व में बिक्री, दान, बंधक, लीज, एकरारनामा नहीं किया हूँ ।

चुंकि मुझ लेख्यकारी को इस समय मकान बनाने एवं आवश्यक घरेलू खर्च हेतु रूपये की अति आवश्यक्ता है किन्तु रूपये पाने का कोई भिन्न उपाय नहीं है सिवाय जमीन रैयती बेचने के । फलतः मैंने उपरोक्त लेख्यधारी से मेरी जमीन खरीदने का आग्रह किया और उन्होंने जमीन लेना स्वीकार किया । किन्तु हम उभय पक्ष अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, फलतः मैंने जमीन बेचने की अनुमति हेतु एक आवेदन न्यायालय श्रीमान् उप समाहर्त्ता भूमि सुधार सिमडेगा के अदालत में अन्दर दफा 46 छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के तहत दायर किया । जिसका सी.एन.टी. नं0 622/2021—22 है । तद्नुसार मेमो नं0 527 (II) रेवेन्यु दिनांक 08.06.2022 ई0 को जमीन बेचने का अनुमति प्राप्त हुआ । मैंने वर्णित मूल्य नगद वसूल वो अदाय पाकर अपनी मन इच्छा वो शरीर की स्वस्थता में रहकर यह रहकर यह विक्रय पत्र केवाला लिख दिया कि प्रमाण रहे ।

मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि वर्णित बिक्रीत जमीन पर मेरा निर्विवाद हक एवं दखल कब्जा है तथा किसी प्रकार का कोई भार या झगड़ा झंझट नहीं है । वर्णित जमीन के खतियानी रैयत भाउआ उरॉव वो सुकरू उरॉव पेशरान मकुन्द उरॉव हैं । वर्तमान जमाबंदी हेन्डरी उरॉव, बेन्जामिन उरॉव वो लुईस उरॉव वगैरह के नाम से दर्ज है । वर्णित जमीन आपसी जबानी बंटवारा में मेरे पिता को हिस्सा में मिला । मेरे पिता की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के आधार पर मैं जमीन पर दखलकार हुआ । जिसकी सरकारी मालगुजारी हेन्डरी उरॉव वगैरह के नाम से कटती है जो पंजी ।।

के भोल्युम नं0 5 पेज नं0 57 में दर्ज है । अब से उक्त जमीन का सारा हक लेख्यधारी को हस्तान्तरित कर दिया । अब इसपर मेरा किसी प्रकार का कोई हक सरोकार न रहा न रहेगा न ही मेरे किसी भी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का ।

चाहिए कि लेख्यधारी अपनी खरीदगी जमीन पर दखलकार होकर वो रहकर जैसा उन्हें सुविधा हो आबाद करें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के जमीन्दारी सिरिस्ते से अपने नाम दाखिल खारिज कराकर खास रसीद लिया करें ।

उक्त बिक्री की जानेवाली जमीन भू–हदबंदी, कैसरे हिन्द, खास महल, सैरात, लिज, भु–दान, बंदोवस्ती, गैर मजरूआ, वन भूमि या किसी भी प्रतिबंधित सूची के तहत नहीं है ।

[illegible]
16.08.2022

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि विक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

सही/– [illegible]
16.08.2022

कनिष्ठ | अनामिका | मध्यमा | तर्जनी | अंगुठा

प्रमाणित किया जाता है कि विक्रेता के बाएं हाथ के पाँचों अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया है।

देवेन्द्र नाग अधिवक्ता
16.08.2022

मैं लेख्यधारी यह घोषणा करता हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

सही/- अमृत प्रमेन्द्र तिर्की
16.08.2022

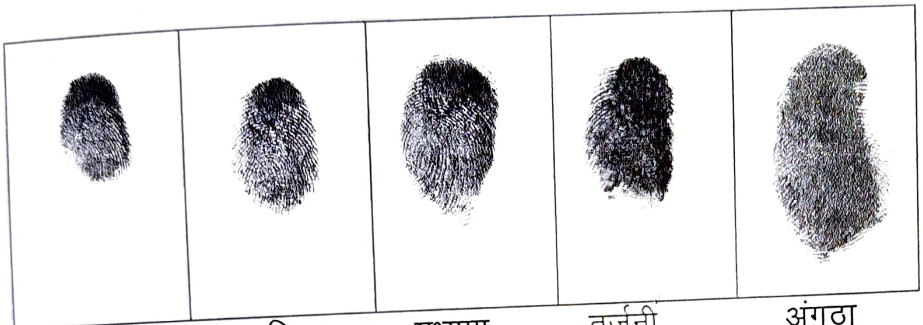

कनिष्ठ	अनामिका	मध्यमा	तर्जनी	अंगुठा

प्रमाणित किया जाता है कि क्रेता के बाएं हाथ के पाँचों अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया है।

देवेन्द्र नाग अधिवक्ता
16.08.2022

पहचानकर्त्ता का सही/- निर्दोष रोशन खेस्स
16.08.2022

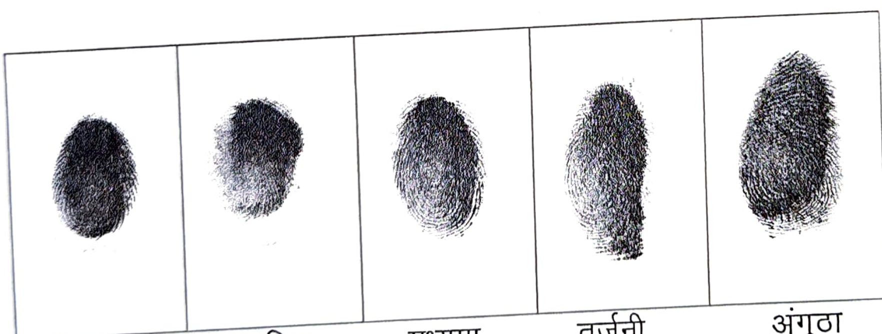

कनिष्ठ	अनामिका	मध्यमा	तर्जनी	अंगुठा

प्रमाणित किया जाता है कि पहचान गवाह के बाएं हाथ के पाँचों अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया है

देवेन्द्र नाग अधिवक्ता
16.08.2022

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/– देवेन्द्र नाग अधिवक्ता

प्रारूपकर्त्ता 16.08.2022.

प्रमाणित किया जाता है कि यह विक्रय पत्र दस्तावेज कुल सात पन्नों का है जो खण्डन रहित वो नक्सा सहित है ।

टंकक

मो० मकसुद
16.08.2022

मो0 मकसुद
कचहरी परिसर,सिमडेगा ।

संलग्नकः–

1. मालगुजारी रसीद का छायाप्रति,
2. खतियान का छायाप्रति,
3. शेड्युल का मूल प्रति,
4. आदेश एवं अंचल रिपोर्ट का सच्ची प्रमाणित प्रतिलिपि,
5. ट्रेस नक्सा का मूल प्रति,
6. सर्वे नक्सा का छायाप्रति,
7. होल्डिंग टैक्स रसीद का छायाप्रति,

प्रमाणित किया जाता है कि क्रेता, विक्रेता एवं पहचान की स्व अभिप्रमाणित फोटोयुक्त छायाप्रति दस्तावेज के साथ संलग्न किया है या विवरणी दिया है तो पूर्ण रुप से सत्य है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि एवं जालसाजी पाए जाने पर मैं स्वयं इसका जिम्मेदार रहूँगा।

[signature]

16.08.2022.